FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

भंवरलाल .... बनाम हनुमान वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद न. 210 / सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
/17	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 80, 92 A .... RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया। जो शामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 11 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 15/1/18 को पेश हो। SDO	1264 24/11/17
15/01/18	वकील वादी उप०। प्रति० 5 की ओर से वकील [illegible], [illegible] प्रति० सं० [illegible], [illegible] एवं [illegible] वकालतनामा पेश किया, एवं प्रति०। [illegible] वकालतनामा पेश करने का [illegible] लिया है। और से वकालतनामा पेश करने [illegible] प्रति० सं० 6, 7, 9, 10, 12 की पुनः तलबी [illegible] का तलबाना पेश करे। तलबाना [illegible] पेश करें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 13/3/18 को पेश हो। SDO	29 17/1/18
13/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील मय वादी को बार बार आवाजे दिलाई गई। वकील मय वादी बिना कोई सूचना इत्तला के अनु० रहे हैं। वकील मय वादी आज बिना कोई इत्तला सूचना के अनु० रहने से वादी का वाद जरिये अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रा० [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद [illegible] दाखिल दफ्तर रेकार्ड [illegible] जावे। SDO	

Scanned by CamScanner